(24)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. डीडीएमए/कोविड–19/2020/1/24 दिनांक 05.04..2020

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कोविड–19 महामारी के संक्रमण के कारण चिंतित है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पहले ही वैश्विक महामारी घोषित किया जा चुका है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने के लिए इसे आवश्यक समझा गया है।

और जबकि भारत सरकार ने ''कोविड–19'' के खतरे को रोकने के लिए 25 मार्च, 2020 से 14 अप्रैल, 2020 मध्य रात्रि तक पूरे भारत में लॉकडाउन को अधिसूचित किया है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का क्षेत्र शामिल है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को उचित उपाय करने के लिए समय–समय पर विभिन्न आदेश/निर्देश जारी किए हैं।

और जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का हवाला देते हुए, 2020 की रिट याचिका (सिविल) नंबर 468 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "हम भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी संबंधित अर्थात् राज्य सरकारें, सार्वजनिक प्राधिकरण और इस देश के नागरिक सार्वजनिक सुरक्षा के हित में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों, सलाह और आदेशों का अक्षरशः ईमानदारी से पालन करेंगे "।

और जबकि, गृह मंत्रालय, सरकार भारत के आदेश संख्या 40–3/2020–डीएम–I (ए) दिनांक 24.03.2020 और अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या 121 दिनांक 25.03.2020 ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि "रोकथाम उपायों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा। डीएम अधिनियम, 2005 और आईपीसी के दंड संबंधी प्रावधानों के सारांश का द्विभाषी संस्करण इसके साथ संलग्न हैं।

अब, इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अध्यक्ष रूप में अधोहस्ताक्षरी ने लॉकडाउन उपायों का उल्लंघन होने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों/स्वायत्त निकायों/प्रवर्तन प्राधिकारियों को डीएम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने के लिये बार–बार कहा है।

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. पुलिस आयुक्त, दिल्ली।
3. अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्।
4. आयुक्त (दक्षिण दिल्ली नगर निगम/पूर्व दिल्ली नगर निगम/उत्तर दिल्ली नगर निगम)।
5. समस्त जिला मैजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. समस्त जिला उपायुक्त पुलिस, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली।
5. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, दिल्ली।
6. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।